क्रम संख्या–09 पंजीकरण संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–1, खण्ड (क)
(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, सोमवार, 20 जनवरी, 2020 ई0
पौष 30, 1941 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 30 / XXXVI(3) / 2020 / 64(1) / 2019
देहरादून, 20 जनवरी, 2020

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन मा0 राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **'उत्तराखण्ड जैविक कृषि विधेयक, 2019'** पर दिनांक 16 जनवरी, 2020 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का **अधिनियम संख्याः 08 वर्ष, 2020** के रूप में सर्व–साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड जैविक कृषि अधिनियम, 2019

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 08, वर्ष 2020)

राज्य में जैविक कृषि को बढ़ावा देने, रासायनिक और सिंथेटिक उर्वरकों, कीटनाशकों, खरपतवारनाशियों, पशु चिकित्सा दवाओं, पशु चारा आदि के विक्रय को विनियमित करने और उससे सम्बन्धित आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए,

अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

अध्याय–1
प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड जैविक कृषि अधिनियम 2019 है।

(2) इस अधिनियम की धारा 3,4,5 और 7 के प्रावधान केवल ऐसे क्षेत्रों पर लागू होंगे जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे। अधिनियम के शेष प्रावधान सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य पर लागू होंगे। राज्य सरकार समय–समय पर अधिसूचना द्वारा अधिसूचित क्षेत्रों को बढ़ा अथवा घटा सकेगी।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

परिभाषाएं

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:–

(क) "सरकार" से उत्तराखण्ड राज्य की सरकार अभिप्रेत है;

(ख) "जैविक कृषि" से पारिस्थितिकी प्रणाली की रचना करने हेतु फार्म डिजाइन तथा प्रबंधन की एक ऐसी प्रणाली अभिप्रेत है जो रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों आदि जैसे कृत्रिम बाहरी इनपुट्स का प्रयोग किये बिना ही पोषण उत्पादकता को हासिल कर सकती है तथा इसमें सभी कृषि फसलें (खाद्यान्न, बाजरा, तिलहन, दलहन आदि), बागवानी फसलें (फलों, सब्जियों आदि), संगध और औषधीय पौधे, गैर टिम्बर वन उपज, पशुपालन, मत्स्य पालन, रेशम उत्पादन, मधुमक्खी पालन आदि भी सम्मिलित हैं;

(ग) "उत्पादक समूह" से उत्पादकों का ऐसा समूह अभिप्रेत है जो जैविक उत्पादों का उत्पादन करना चाहते हैं या जैविक प्रक्रियाओं में जैविक उत्पादन के राष्ट्रीय मानक के अनुसार कार्यरत हैं;

(घ) "जैविक उत्पादन के लिए राष्ट्रीय मानक (एनएसओपी)" से वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जैविक उत्पादों की जैविक कृषि, कटाई, उत्पादन, प्रसंस्करण एवं व्यवसाय हेतु निर्धारित राष्ट्रीय मानक अभिप्रेत है;

(ङ) "पशुधन" से कोई भी घरेलू अथवा पालतू पशु अभिप्रेत है, जिसमें भोजन हेतु अथवा भोजन के उत्पादन हेतु पाले जाने वाले पशु(भैंस तथा गवल सहित) भेड़, शूकरीयय, बकरी, अश्वीयय, कुक्कुट तथा मधुमक्खियां भी सम्मिलित है;

(च) "पशु चिकित्सा औषधि" से किसी भी खाद्य–उत्पादक पशु यथा मांस अथवा दुग्ध–उत्पादन पशुओं, मुर्गियों, मछली अथवा मधुमक्खियों पर लेपित अथवा प्रयुक्त कोई भी औषधीय तत्व अभिप्रेत है, भले ही उसका प्रयोग चिकित्सीय, रोगनिरोधक अथवा नैदानिक प्रयोजनों या शारीरिक क्रियाओं अथवा व्यवहार में परिवर्तन हेतु किया गया हो;

(छ) "नियामक प्राधिकारी" से इस अधिनियम और तद्धीन बनाये गये नियमों के अधीन विनियमित कीटनाशकों, उर्वरक, पशु चिकित्सा औषधि आदि के विक्रय/वितरण के लिए लाइसेंस प्रदान करने के लिए नामित अधिकारी अभिप्रेत है;

(ज) "प्रतिबन्धित पशु चारा" से रासायनिक सान्द्रण के प्रयोग या रासायनिक उपचार के द्वारा तैयार किया गया पशु चारा अभिप्रेत है;

(झ) "फार्म यूनिट" से ऐसा कृषि फार्म, क्षेत्र अथवा उत्पादन यूनिट अभिप्रेत है, जिसका किसी एक कृषक अथवा कृषकों के एक समूह के द्वारा जैविक रूप से प्रबन्धन किया जाता हो;

(ञ) "प्रमाणीकरण संस्था" से ऐसी संस्था अभिप्रेत है जो कि राष्ट्रीय प्रत्यायन नीति एवं कार्यक्रम के अनुसार प्रमाणीकरण एवं निरीक्षण सेवाओं का निष्पादन करती है;

(ट) "प्रमाणीकरण" से वह प्रक्रिया अभिप्रेत है जिसके द्वारा प्रमाणीकरण एजेंसी लिखित रूप से सुनिश्चित करती है कि स्पष्ट रूप से अधिनिर्धारित उत्पादन अथवा प्रसंस्करण की एक प्रणाली का विधिवत ढंग से मूल्यांकन किया गया है और वह विनिर्दिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप है;

(ठ) "इनपुट्स" से ऐसी मदें अभिप्रेत हैं जिनकों जैविक खेती में प्रयोग करने हेतु "प्रतिबन्धित इनपुट", "अनुमत्त इनपुट" तथा "नियंत्रित इनपुट्स" की श्रेणी में रखा गया है;

(ड) "प्रतिबन्धित इनपुट"से ऐसी मदें अभिप्रेत है जिनका जैविक खेती में प्रयोग करना प्रतिबन्धित है;

(ढ) "अनुमत्त इनपुट" से ऐसी मदें अभिप्रेत है, जिनका जैविक खेती में प्रयोग किया जा सकता है;

(ण) "नियंत्रित इनपुट्स" से ऐसी मदें अभिप्रेत हैं जिनके प्रयोग के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले संदूषण जोखिम, प्राकृतिक असंतुलन तथा अन्य कारकों का एक सतर्क मूल्यांकन करने के पश्चात् एक नियंत्रित रीति में, जैविक कृषि में उनका प्रयोग करने की अनुमति प्रदान की गयी है;

(त) "हरी खाद" से ताजा हरे पौधे की खाद, जिसे मिटटी में सुधार के लिए हल से जोता जाता है या उसे मिट्टी में मिलाया जाता है, अभिप्रेत है;

(थ) "जैविक बीज और रोपण सामग्री" से ऐसे बीज और रोपण सामग्री, जिसका उत्पादन प्रमाणीकृत जैविक प्रणाली के अंतर्गत किया जाता है, अभिप्रेत है;

(द) "प्राधिकरण" से कृषि और प्रसंस्करित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीड़ा) अभिप्रेत है; और

(ध) "विहित" से इस अभिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है।

अध्याय–2

अनुज्ञप्ति एवं प्रतिबंधित सिंथेटिक उर्वरकों, कीटनाशकों आदि के विक्रय पर निषेध

रासायनिक और सिंथेटिक उर्वरकों, कीटनाशकों और खरपतवारनाशियों के विक्रय के लिए अनुज्ञप्ति पर निषेध

3. (1) नियामक प्राधिकारी राज्य में अधिसूचित क्षेत्रों में ऐसे रासायनिक और सिंथेटिक उर्वरकों, कीटनाशकों और खरपतवारनाशियों आदि के विक्रय के लिए कोई ऐसा नया अनुज्ञप्ति पत्र नहीं देगा जो प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित जैविक उत्पादन के राष्ट्रीय मानक के अध्याय 3 के परिशिष्ट–1 एवं 2 में प्रतिबन्धित है।

(2) नियामक प्राधिकारी वर्तमान में जारी ऐसे समस्त अनुज्ञप्ति पत्रों को राज्य के अधिसूचित क्षेत्रों में तत्काल प्रभाव से रद्द कर देगा।

(3) कोई भी व्यक्ति राज्य के अधिसूचित क्षेत्रों में रासायनिक और सिंथेटिक उर्वरकों, कीटनाशकों और खरपतवारनाशियों का न तो विक्रय करेगा और न ही उसके द्वारा ऐसा विक्रय किसी अन्य माध्यम से कराया जायेगा।

पशु चिकित्सा औषधि के विक्रय के लिए लाईसेंसिंग पर निषेध

4. (1) नियामक प्राधिकारी राज्य में ऐसे पशु चिकित्सा औषधि आदि के विकय के लिए कोई ऐसा नया अनुज्ञप्ति पत्र नहीं देगा जो प्राधिकरण (एपीडा) के दिशा–निर्देशों में प्रतिबन्धित है।

(2) नियामक प्राधिकारी वर्तमान में जारी ऐसे समस्त अनुज्ञप्ति पत्रों को राज्य के अधिसूचित क्षेत्रों में तत्काल प्रभाव से रद्द कर देगा।

(3) कोई भी व्यक्ति राज्य के अधिसूचित क्षेत्रों में पशु चिकित्सा औषधि का न तो विक्रय करेगा और न ही उसके द्वारा ऐसा विक्रय किसी अन्य माध्यम से कराया जायेगा।

प्रतिबन्धित पशु चारें एवं औषधियों के विक्रय पर निषेध

5. (1) नियामक प्राधिकारी राज्य में अधिसूचित क्षेत्रों में ऐसे पशुचारे के विक्रय के लिए ऐसा कोई नया अनुज्ञप्ति पत्र नहीं देगा जो प्राधिकरण (एपीड़ा) के दिशा–निर्देशों में प्रतिबन्धित है।

(2) नियामक प्राधिकारी वर्तमान में जारी ऐसे समस्त अनुज्ञप्ति पत्रों को राज्य के अधिसूचित क्षेत्रों में तत्काल प्रभाव से रद्द कर देगा।

(3) कोई भी व्यक्ति राज्य के अधिसूचित क्षेत्रों में किसी भी प्रतिबन्धित पशुचारे को न तो विक्रय करेगा न ही उसके द्वारा ऐसा विक्रय किसी अन्य माध्यम से कराया जायेगा।

अध्याय–3

जैविक प्रमाणीकरण की रीति

कृषकों द्वारा अपनी भूमि के जैविक प्रमाणीकरण हेतु अनुरक्षित किये जाने लिए आवश्यक दस्तावेज

6. (1) अपने कृषि उत्पादों को जैविक के रूप में प्रमाणित कराने के क्रमों में कृषकों को ऐसे दस्तावेजों का अनुरक्षण करना होगा जैसे कि विहित किये जाये।

(2) कृषक जैविक उत्पादन के मानदण्ड के अनुसार इनपुट्स का उपयोग करेंगे, जैसा भूमि की गुणवत्ता बनाये रखने हेतु आवश्यक हो।

जैविक प्रमाणीकरण

7. (1) अपने खेत का जैविक प्रमाणीकरण कराने के इच्छुक कृषक/कृषक समूह मान्यता प्राप्त प्रमाणीकरण एजेंसी में रजिस्ट्रीकरण कराये जाने हेतु एजेंसी द्वारा निर्धारित प्ररूप एवं शुल्क के साथ आवेदन करेगा।

(2) प्रमाणीकरण संस्था द्वारा आवेदन पत्र ऑनलाईन भी उपलब्ध कराये जायेंगे।

(3) प्रमाणीकरण संस्था कृषकों को उनकी सुविधानुसार ऑन लाईन अथवा ऑफलाईन आवेदन पत्र जमा करने की सुविधा उपलब्ध करायेगी।

(4) आवेदन पत्र प्राप्त होने के 21 दिन के भीतर प्रमाणीकरण संस्था कृषक/कृषक समूह को इलैक्ट्रॉनिक माध्यम /दूरभाष के माध्यम से एवं रजिस्टर्ड डाक द्वारा रजिस्ट्रीकरण की सूचना देगी।

(5) यदि कृषक धारा 6 में वर्णित सभी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं तो मान्यता प्राप्त प्रमाणीकरण संस्था उनके कृषि उत्पादों, खेत एवं उनके द्वारा अनुरक्षित दस्तावेजों का निरीक्षण तथा मिट्टी एवं पानी के नमूनों के परीक्षण के आधार पर उनके कृषि उत्पादों को प्रमाणित करेगी:

परन्तु यह कि कृषक ने प्रमाणीकरण संस्था में सम्यक रूप में अपना रजिस्ट्रीकरण कराया हो।

(6) यदि मान्यता प्राप्त प्रमाणीकरण संस्था कृषक या कृषक समूह के कृषि उत्पाद को जैविक रूप में प्रमाणित करने से इंकार करती है तो मान्यता प्राप्त प्रमाणीकरण संस्था कृषक या कृषक समूह और उत्तराखण्ड जैविक उत्पाद

परिषद् को अपने निर्णय के बारे में ऐसा करने के अपने कारणों सहित लिखित रूप में सूचित करेगी।

निजी एजेंसियों (जैविक कृषि उत्पादों के निर्यातकों/ व्यापारियों, प्रोसेसर, गैर सरकारी संगठन आदि) के लिए प्रावधान

8\. (1) यदि कोई निजी एजेंसी (निर्यातक/व्यापारी, प्रोसेसर,गैर सरकारी संगठन आदि) उत्तराखण्ड में जैविक कृषि उत्पादों की खरीद/ व्यापार/निर्यात/ प्रसंस्करण में संलग्न होने की इच्छुक है तो ऐसी एजेंसी को स्वयं को उत्तराखण्ड जैविक उत्पाद परिषद में विहित रीति से रजिस्ट्रीकृत कराना होगा। ऐसा रजिस्ट्रीकरण निःशुल्क होगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकृत एजेंसी ऐसे रिटर्न प्रस्तुत करेगी जो विहित किए जायं।

अध्याय–4

प्रमाणीकरण संस्था एवं अनुसंधान व प्रशिक्षण बैकअप नीति

प्रमाणीकरण संस्था

9\. (1) नेशनल प्रत्यायन निकाय (एनएबी) द्वारा मान्यता प्राप्त कोई भी प्रमाणीकरण संस्था जो उत्तराखण्ड राज्य में काम करने की इच्छुक है, को उत्तराखण्ड जैविक उत्पाद परिषद, में विहित रीति से रजिस्ट्रीकरण करना होगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकृत संस्था ऐसे रिटर्न प्रस्तुत करेगी जो विहित किए जायं।

(3) भारत सरकार की अधिकृत क्षेत्रीय परिषद उत्तराखण्ड राज्य में सहभागी प्रत्याभूति प्रणाली के प्रमाणीकरण हेतु कार्य कर सकेगी।

(4) कोई भी व्यक्ति उत्तराखण्ड राज्य में तब तक किसी ऐसे जैविक खाद्य का निर्माण, पैकिंग, विक्रय, विक्रय के लिए प्रस्ताव, विपणन या अन्यथा वितरण या आयात नहीं करेगा, जब तक कि ऐसे खाद्य पदार्थ राष्ट्रीय जैविक उत्पाद कार्यक्रम अथवा सहभागी प्रत्याभूति प्रणाली के अंतर्गत प्रमाणित न हो और ऐसे पदार्थों पर एफ.एस.एस. ए. आई. का जैविक भारत का लोगो न हो।

अनुसंधान एवं प्रशिक्षण बैकअप हेतु नीति

10\. (1) जैविक उत्पादन के लिए एक निश्चित अवधि के भीतर इनपुट उपलब्ध कराने के लिए आधारभूत संरचना राज्य द्वारा स्थापित की जायेगी।

(2) कृषि/उद्यान विश्वविद्यालय/अनुसंधान केन्द्र/कृषि विज्ञान केन्द्र ,राज्य सरकार के वित्तीय सहयोग से, क्षेत्र विशेष आधारित जैविक उत्पादन की उन्नत पद्धतियों को विकसित करेंगे।

(3) कृषि/ उद्यान विश्वविद्यालय/अनुसंधान केन्द्र/ कृषि विज्ञान केन्द्र राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए, जागरूकता बढ़ाने तथा कुशल मानव शक्ति उपलब्ध कराने हेतु राज्य सरकार के वित्तीय सहयोग से नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेंगे।

जैविक इनपुट की उपलब्धता

11\. राज्य के प्रत्येक जिले में कृषि विभाग :–

(i) कृषकों के लिए एक निश्चित समय अवधि के अन्तर्गत अनुमोदत जैविक इनपुट्स की उपलब्धता सुनिश्चित करायेगा;

(ii) कृषकों को खेत पर जैविक इनपुट उपयोग करने हेतु उत्साहित करेगा; एवं

(iii) कृषकों को खेत पर जैविक इनपुट बनाने के लिए प्रशिक्षण तथा आधारभूत संरचनायें उपलब्ध करायेगा।

अध्याय–5

दण्ड एवं शास्ति

अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन के लिए दण्ड

12\. (1) जो कोई इस अधिनियम की धारा–3, 4, 5, 8 अथवा 9 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, वह साधारण कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो एक लाख रूपये तक का हो सकेगा अथवा दोनों से दण्डित किया जायेगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय प्रत्येक अपराध असंज्ञेय और जमानतीय होगा।

(3) ऐसा प्रत्येक अपराध प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होगा। प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद निदेशक, कृषि निदेशालय अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी द्वारा संस्थित किया जायेगा।

अध्याय–6

विविध

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण

13. इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये किसी नियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही राज्य सरकार के किसी अधिकारी या इस अधिनियम के अधीन किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने वाले या किन्हीं कृत्यों का निर्वहन करने वाले या कर्तव्यों का अनुपालन करने वाले किसी अन्य व्यक्ति के विरूद्ध नहीं होगी।

राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति

14. (1) राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाये जाने के पश्चात यथाशीघ्र राज्य की विधान सभा के समक्ष रखा जायेगा।

कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति

15. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राज्य सरकार ऐसे आदेश द्वारा जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, उस कठिनाई को दूर कर सकेगी :

परन्तु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात नहीं किया जायेगा।

(2) इस धारा के अधीन निकाला गया प्रत्येक आदेश निकाले जाने के पश्चात यथाशीघ्र राज्य विधानसभा के समक्ष रखा जायेगा।

आज्ञा से,

प्रेम सिंह खिमाल,
सचिव।

उद्देश्य और कारणों का कथन

उत्तराखण्ड राज्य में वर्तमान में जैविक कृषि के विषय में कोई विधि विद्यमान नहीं है। उत्तराखण्ड राज्य में जैविक कृषि को प्रोत्साहित करने, जैविक प्रमाणीकरण हेतु रजिस्ट्रीकरण कराने एवं जैविक उत्पादन संबंधी प्रावधानों को विनियमित करने हेतु विधि को निर्मित किया जाना अपरिहार्य है।

2– प्रस्तावित विधेयक उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति करता है।

सुबोध उनियाल
मंत्री।